न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः—जीसीएमएस नं. 2022 / 348

1. गंगाराम पुत्र बोदूराम जाति कुमावत निवासी गोकुलपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. कानाराम पुत्र सुवालाल जाति जाट निवासी गणेशपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
2. सुन्दर लाल पुत्र सुवालाल जाति जाट निवासी गणेशपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
3. लालाराम पुत्र सुवालाल जाति जाट निवासी गणेशपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
4. लालाराम पुत्र सेडूराम जाति जाट निवासी गणेशपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
5. छीतर पुत्र पोखरमल जाति जाट निवासी गणेशपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
6. हनुमान पुत्र झूंथाराम जाति जाट निवासी ग्राम कापडियावास तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
7. बंशी पुत्र झूंथाराम जाति जाट निवासी गोकुलपुरा, तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
8. गोपाल पुत्र झूँथाराम जाति जाट निवासी गोकुलपुरा, तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
09. श्रीराम पुत्र झूँथाराम जाति जाट निवासी कापडियावास तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
10. रामस्वरूप पुत्र झँथाराम जाति जाट निवासी कापडियावास तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
11. कजोड़मल पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी गोकुलपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
12. श्रवण पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी कापडियावास तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
13. सत्यनारायण पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी कापडियावास तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
14. ओमप्रकाश पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी कापडियावास तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
15. ईश्वर लाल पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी गोकुलपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
16. छीतर पुत्र गोपी जाति जाट निवासी गणेशपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा मु. सांभरलेक जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. **श्री बी.एल.वर्मा एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री बंशीधर जाट एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 2,3,5,6, 8 से 11,14,15 की ओर से**

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

निर्णय

दिनांकः 19.06.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र ग्रामदानी ग्राम गणेशपुरा व गोकुलपुरा की मीटिंग में दिनांक 25.05.2014 को प्रशासक (तहसीलदार) ग्रामदानी गणेशपुरा एवं प्रशासक नायब तहसीलदार ग्राम गोकुलपुरा को प्रस्तुत किया था जिसमें खसरा नम्बर 540 ग्राम गोविन्दपुरा व गणेशपुरा जो मूल राजस्व ग्राम कालख से सृजित हुये थे उन दोनों गांवों की सरहद सीमाज्ञान सम्बन्धी विवाद के निस्तारण हेतु आवेदन किया जिस पर तहसीलदार फुलेरा ने अपने पत्र क्रमांक एलआर/14/14 दिनांक 11.06.2014 के अन्तर्गत जिला कलक्टर जयपुर को एवं भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर को अपने पत्रांक भूअ./15/1902 दिनांक 19.06.2014 के द्वारा सीमाज्ञान करवाने हेतु निवेदन किया गया साथ उसके उपरान्त भी अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नही की गई एवं अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि फर्द मौका चिन्हिकरण रिपोर्ट ग्राम गोकुलपुरा खसरा नम्बर 540/1, 540/2, 538, 539 (कालख) भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर के आदेश क्रमांक 1121 दिनांक 24.05.2019 की पालना में गठित भू प्रबन्ध टीम के निरीक्षण व भू मापक राजस्व टीम को चिन्हिकरण कार्यवाही में तकनिकी सहयोग देने हेतु मौके पर पहूँची, मौके पर राजस्व टीम के हल्का गिरदावर श्रीमती कृष्णा मीना एवं हल्का पटवारी श्री राजेन्द्र प्रसाद मीना पटवार हल्का कालख एवं श्री लक्ष्मण कुमार शर्मा पटवार हल्का खेजडावास मय राजस्व रिकाड मौके पर उपस्थित मिले, उपरोक्त आवेदित खसरा नम्बरा का आवेदक श्री गंगाराम पुत्र श्री बोदूराम व पुलिस थाना जोबनेर के हैड कास्टेबल श्री लक्ष्मणसिंह मय पुलिस जाप्ता की मौजूदगी में भू प्रबन्ध टीम व राजस्व टीम द्वारा संयुक्त रूप से मौके पर चिन्हिकरण का कार्य दिनांक 13.06.2019 को सम्पादित किया गया, एवं नक्शा मौका तहरीर कर आराजी खसरा नम्बर 540/2 पर जो अतिक्रमण है उसकी सर्वेसीट की नकल उपलब्ध करवा दी गई, रिपोर्ट तहसीलदार फुलेरा को सूचनार्थ एवं एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरंण के वास्तविक तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित क्रिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन भूमि की पैमाईश की राशि भी जमा करवा दी थी उसके उपरान्त भी अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि राजस्थान ग्रामदान नियम 1971 में नॉन ज्यूडिशियल मामलों

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

में आवेदनों तथा कार्यवाहियों के लिये राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत जॉच प्रक्रिया निर्धारित है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के वास्तविक तथ्यों को बिना समझे उन पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2022 खारिज किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.05.2022 निरस्त किया जावें एवं उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक को निर्देश जारी किये जावें कि भूदान बोर्ड एवं जिला कलक्टर के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिये मौके पर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों से करावें। उन्होने राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के पत्र दिनांक 01.06.2023 की प्रति भी पेश की।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि भूमि वादग्रस्त ग्रामदानी भूमि है जिसके सम्बन्ध में किसी प्रकार की कार्यवाही का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्रदत्त नही है जो राजस्थान ग्रामदानी अधिनियम 1971 की धारा 46 में वर्णित है कि किसी भी सिविल या रेवेन्यू न्यायालय को इस संदर्भ में क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। इसलिये अपीलार्थी का प्रकरण में कार्यवाही का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नही होने से अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 128, 111 अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम खारिज किया गया जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर है कि अपीलार्थी ने अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि अपीलार्थी की उक्त आराजी ग्रामदानी भूमि है जिस पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही संभव नही होने से अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2022 को यथावत रखा जाता है।

19/6/23

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 19.06.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

19/6/23

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर